न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 10/2022

बउनवान

1. गजानंद उम्र 62 वर्ष पुत्र श्री किशनलाल बैरवा निवासी आकेड़ा तहसील बारां, जिला बारां (राज0)
2. ब्रह्मानंद उम्र 64 वर्ष पुत्र श्री किशनलाल बैरवा निवासी आकेड़ा तहसील बारां जिला बारां (राज0)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. नाथुलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र मथुरा लाल जाति बैरवा निवासी आकेड़ा तहसील बारां
2. रामस्वरूप उम्र 48 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बैरवा निवासी आकेड़ा तहसील बारां
3. शैलेन्द्र उम्र 27 वर्ष पुत्र दयाराम जाति बैरवा निवासी आकेड़ा तहसील बारां
4. सावित्री उम्र 46 वर्ष पत्नि मोहनलाल पुत्री दयाराम निवासी आकेड़ा हाल निवासी बमोरीकलां तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
5. मंजू उम्र 32 वर्ष पत्नि नरेन्द्र पुत्री दयाराम जाति बैरवा निवासी आकेड़ा हाल निवासी पाडलिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज.)
6. जानकी बाई 70 वर्ष बेवा दयाराम जाति बैरवा निवासी आकेड़ा तहसील व जिला बारां
7. रामकरण उम्र 70 वर्ष पुत्र किशनलाल जाति बैरवा निवासी आकेड़ा तहसील व जिला बारां (राज0)
8. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां (राज0)

(रेंस्पोडेंट्स)

अपील विरूद्ध नामा. संख्या 454 दिनांक 3/4.05.2012 तहसीलदार बारां, अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री महेश प्रकाश गौत्तम एडवोकेट (अपीलांटगण)
2. श्री दुल्हे सिंह एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट कम 1)
3. श्री हेमराज बैरवा एडवोकेट (रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 7)

निर्णय दिनांक 10.01.2023

अपीलांटगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आकेड़ा, तहसील बारां में आराजियात खाता संख्या 57 खसरा नं0 529 रकबा 1.43 हेक्टर खातेदारा गेंदीबाई बेवा धूल्या जाति चमार निवासी आकेड़ा के खाते उसके पति धूल्या की मृत्यु होने पर दर्ज हुई। गेंदी व उस[illegible] संतान नहीं होने से उसके पति धूल्या ने अपने भाई भैरूलाल के पुत्र किशनला[illegible]ाई बिरधीलाल के पुत्र मथुरालाल को अपनी मृत्यु तक पुत्रवत अपने प[illegible] और धूल्या की मृत्यु के बाद गेंदीबाई की मृत्यु सन् 1994 में [illegible]वा की। गेंदीबाई क[illegible] होने के 15 वर्ष तक उक्त आराजी का इंतकाल नही खुला। [illegible]डेन्ट कम 1 नाथुलाल[illegible]स बात की पूर्ण जानकारी थी कि धूल्या ने उसके पिता मथुरालाल को व दयाराम के पिता किशनलाल को पुत्रवत रखा है फिर भी उसने दिनांक 30.05.2011 को तहसील बारां में आवेदन गेंदीबाई की मृत्यु पर इंतकाल खुलवाने बाबत यह मिथ्या कथन करते हुए कि गेंदीबाई ने 1/2 हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:26 IST
Reason: SelfAttested

वसीयत उसके नाम करवा रखी है, फौती इंतकाल खुलवाने बाबत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के साथ कोई वसीयत पेश नहीं की और ना वसीयत की दिनांक का कोई कथन किया तथा दयाराम की मृत्यु 2005 में होना भी नहीं दर्शाया। उक्त आवेदन पर 8 माह तक तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर रेस्पोडेन्ट कम 2 द्वारा एक फर्जी, कूटरचित वसीयतनामा दिनांक 24.07.1994 का तैयार कर पुनः एक आवेदन नाथुलाल के साथ अपने को मृतका गेंदीबाई का वारिस होना बताकर दिनांक 09.01.2012 को पेश किया। तहसीलदार ने कथित वसीयत की कोई जांच नहीं की तथा इंतकाल संख्या 454 नाथुलाल व दयाराम के नाम खोलकर त्रुटि की है। धसूल्या द्वारा कभी भी दयाराम को आराजी का 1/2 हिस्सा नही संभलाया वास्त में किशनलाल को रखने से किशनलाल 1/2 हिस्से पर धूल्या की मृत्यु के बाद से चला आ रहा था। किशनलाल के पुत्र होने से अपीलार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। धूल्या ने अपने पास रखे मथुरालाल का एकमात्र पुत्र रेस्पो. नाथुलाल वारिस है तथा किशनलाल के मृतक दयाराम, रामकरण, ब्रह्मानंद और गजानंद चारों बराबर के हिस्सेदार वारिस हैं और इसी अनुपात में गेंदीबाई की आराजी में इंतकाल अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। अतः अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामांतकरण संख्या 454 निरस्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

रेस्पोडेन्ट्स जर्ये अभिभाषकगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय को रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण की सुनी।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांटगण ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने फर्जी, कूटरचित वसीयत तैयार कर दिनांक 09.01.2012 को आवेदन तहसीलदार बारां के समक्ष पेश किया जबकि रेस्पोडेन्ट कम 1 ने दिनांक 30.05.2011 को इसी संबंध में जो आवेदन पेश किया था उसमें ना तो वसीयत पेश की ना ही वसीयत की दिनांक अंकित की। यदि ऐसी कोई वसीयत थी तो पूर्व में प्रस्तुत आवेदन के साथ पेश क्यों नहीं की गई। वास्तविकता यह है कि मृतक धूल्या व गेंदीबाई के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से मृतक धूल्या ने अपने जीवनकाल में अपने भाई भैरूलाल के पुत्र किशनलाल को व भाई बिरधीलाल के पुत्र मथुरालाल को अपनी मृत्यु तक पुत्रवत अपने पास रखा। दोनो ने उनकी सेवा की और धूल्या की मृत्यु के बाद गेंदीबाई की मृत्यु सन् 1994 में होने तक उनकी भी सेवा की। यदि रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के पक्ष में कोई वसीयत थी तो गेंदीबाई की मृत्यु के पश्चात सन् 1994 से सन् 2011 तक आवेदन क्यों नहीं पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत आवेदन की मौके पर विधिवत जांच नहीं की तथा अपीलाधीन इंतकाल खोल दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम आंकेड़ा का नामान्तकरण संख्या 454 [illegible] कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांटगण ने विधिक दृष्टांत आरबीजे (27) [illegible] पृष्ठ संख्या 1 से 5 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर [illegible] 2008/11792/बीकानेर बउनवान पाखरसिंह बनाम किस्तूरीदेवी आदि में [illegible] दिनांक 28.11.2019 की छायाप्रति प्रस्तुत कर अपीलांटगण की अपील स्वीकार किये जाने की [illegible]स्तदुआ की।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:26 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस उपस्थित रेस्पोडेन्टगण ने वसीयत के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण खोला जाने का कथन किया तथा अपीलान्टगण द्वारा उक्त वसीयत को चुनौती नहीं देना अवगत कराते हुए की अपील अपीलांटगण खारिज किये जाने की इस्तदुआ की।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचारण किया गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथाकथित अपंजीकृत वसीयत तथा उसमें अंकित तथ्यों के आधार पर नाथूलाल पुत्र मथुरालाल व दयाराम पुत्र किशनलाल के हक में मृतक गेंदीबाई बेवा धूल्या की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 529 रकबा 1.43 है. वाके ग्राम आंकेड़ा का नामान्तकरण खोलने के आदेश दिये जिसके आधार पर विवादित नामान्तकरण दर्ज किया गया। उक्त वसीयत में विवादित आराजी में से 1/2 हिस्सा यानि 0.72 है. उत्तर दिशा की भूमि नाथूलाल को दिया जाना अंकित किया गया है परन्तु इसी वसीयत में उक्त भूमि में से शेष 0.71 है. दक्षिणी भूमि गेंदी के पति द्वारा दयाराम बैरवा को उसके जीवनकाल में संभलाना अंकित किया है परन्तु उक्त भूमि की कोई वसीयत नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक गेंदी की उक्त तथाकथित वसीयत के आधार पर नाथूलाल व दयाराम के हक में विवादित आराजीयात खाते में दर्ज किये जाने में त्रुटि की गई है। अभिभाषक अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत विधिक दृष्टांत आरबीजे (27) 2020 पृष्ठ संख्या 1 के अनुसार भी On the basis of Un-Registered will mutation of Land cannot be attested. मृतक गेंदीबाई के अन्य वारिसान की भी सुनवाई किया जाना प्रकरण में नहीं पाया जाता।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने से स्वीकार की जाकर ग्राम आंकेड़ा का नामान्तकरण संख्या 454 दिनांक 3/4–5–2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मृतक गेंदी के समस्त वारिसान की सुनवाई कर वसीयत की सत्यता बाबत जांच कर पुनः नये सिरे से नामान्तकरण दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.01 10:33:26 IST
Reason: SelfAttested